न्यायालय भू प्रबंध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय, आर. ए. एस.

अपील संख्याः– 11/2013 (223 आर. टी. एक्ट)

उनवान

1. सियाराम
2. धर्म सिंह
3. महेन्द्र

} पुत्रगण कमल सिंह जाति गुर्जर निवासी नगला तुला तहसील रूपवास जिला भरतपुर।

.....अपीलांट।

बनाम

1. श्रीमती रामवती पुत्री हरेती पत्नी हीरालाल
2. श्रीमती चन्द्रवती पुत्री हरेती पत्नी रामचरन

} अकवाम जाटवान निवासी वैमन तह0किरावली हाल निवासी नगला तुला तह0रूपवास, भरतपुर

.....रेस्पोंडेंट

अपील विरूद्ध निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास दिनांक 31.07.13 मि.नं. 200/11 उनवानी रामवती बनाम सियाराम।

उपस्थितिः–

1. श्री चन्द्रमोहन गुप्ता वकील अपीलांट।
2. श्री तालेराम वकील रैस्पो0।

निर्णय दिनांक–21.11.2017

1. यह अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.13 के विरूद्ध पेश की गई है। संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/वादीगण ने एक दावा विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 02, 03, 06 वाके ग्राम नगला तुला तहसील रूपवास में स्थित है। उक्त आराजी रैस्पो0/वादीगण के पूर्वजों की छोडी हुई गैरखातेदारी की आराजी है। रैस्पो/वादीगण उक्त आराजी पर अपने बाबा एवं पिता के समय से ही स्वतंत्र पूर्वक काश्त करती चली आ रही हैं। विवादित आराजी से अपीलांट/प्रतिवादीगण का कोई संबंध सारोकार नहीं है। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण गूर्जर जाति के लठैत व्यक्ति है, जबकि रैस्पो0/वादीगण अनुसूचित जाति की गरीब महिलाऍ हैं। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण, रैस्पो0/वादीगण की कमजोरी का फायदा उठाकर विवादित आराजी को हडपना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किये जाने का निवेदन किया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त दावा, बाद सुनवाई अपीलाधीन आदेश से डिक्री कर दिया। जिससे व्यथित होकर अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण द्वारा यह अपील इस न्यायालय में पेश की गयी है।

2. अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रेस्पोंडेंट एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली को तलब किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गई।

3. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन आदेश, अधीनस्थ न्यायालय खिलाफ कायदे कानून व रूयेदाद मिसिल होने के कारण, काबिल खारिजी है। अधीनस्थ न्यायालय को रैस्पो0/वादीगण का दावा डिक्री किये जाने के बजाय निरस्त करना चाहिये था। क्योंकि रैस्पो0/वादीगण विवादित आराजी के खातेदार नहीं है, इसलिए स्थाई निषेधाज्ञा का वाद संधारणीय नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट को सुनवाई का अवसर दिये बिना, उनकी बैक पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि रैस्पो0/वादीगण या उनके पिता हरेती विवादित भूमि पर कभी काबिज नहीं रहे एवं ना ही उनके नाम कभी खातेदारी रही है एवं रैस्पो0/वादीगण का भी विवादित आराजी पर कोई कब्जा काश्त नहीं है। वैसे भी वह शादी के बाद, अपनी ससुराल में रहती हैं। अतः बिना खातेदारी एवं बिना कब्जे के स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री पारित नहीं की जा सकती। अतः अपीलाधीन आदेश निरस्त करते हुए, अपील अपीलाण्ट स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

4. विद्वान अभिभाषक रैस्पो0 ने जबाबी बहस में तर्क प्रस्तुत किये, विवादित आराजी पर रैस्पो0 का कब्जा, उनके बाबा के समय से ही बदस्तूर चला आ रहा है। अपीलाण्ट को विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। रैस्पो0 राजस्व अभिलेख में विवादित आराजी के गैर खातेदार दर्ज है। अधीनस्थ न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी को ध्यान में रखते हुए, विधि अनुरूप निर्णय पारित किया है। अतः अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

5. हमने पत्रावली का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में उपलब्ध नकल जमाबन्दी संवत 2064–67 के खाता संख्या 363 में वर्णित आराजी खसरा नम्बर 2, 3, 6, 30, 56, 256, 258, 260 के रैस्पो0/वादीगण गैर खातेदार दर्ज रिकार्ड हैं। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत अपील में विवादित भूमि पर स्वयं के स्वत्व बाबत् ना तो कोई कथन ही है और ना ही कोई साक्ष्य। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण ने अपील में केवल रैस्पो0/वादीगण का विवादित आराजी पर कब्जा ना होने की आपत्ति अंकित की है। किन्तु पत्रावली पर उपलब्ध, स्वतंत्र गवाह पीडब्ल्यू 3 बलवीर पुत्र रामजीलाल व पीडब्ल्यू 4 रामचरन पुत्र फगुनी के बयानों में स्पष्ट अंकित है कि विवादित आराजी पर रैस्पो0/वादीगण रामवती एवं चन्द्रवती का कब्जा काश्त है एवं अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण, रैस्पो0/वादीगण की आराजी पर जबरदस्ती कब्जा करना चाहते हैं तथा नुकसान करते हैं। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने उपलब्ध दस्तावेजी एवं बयानो के आधार पर उचित ही दावा रैस्पो0/वादीगण

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

डिक्री किया है। जिसमें हम हस्तक्षेप की कोई गुंजाईश शेष नहीं पाते हैं। लिहाजा अपील अपीलाण्ट खारिज योग्य पाते हैं।

6. अतः आदेश है कि अपील अपीलाण्ट खारिज की जाती है। विद्वान अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, रूपवास के निर्णय व डिक्री दिनांक 31.07.2013 यथावत रखें जाते हैं। पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय प्रति के साथ लौटाया जावें।

7. निर्णय आज दिनांक 21.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
आर.ए.एस.
भू प्रबंध अधिकारी पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official